"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2017—माघ 7, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अजहर ख्वाजा उम्र 30 वर्ष, आ. श्री जहीर ख्वाजा निवासी-एम. आई. जी. 01 दीनदयाल नगर, चिखली राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्र व दस्तावेजों में मेरा नाम अजहरूद्दीन ख्वाजा पिता श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अज़हर ख्वाजा पिता श्री ज़हीर ख्वाजा रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अज़हर ख्वाजा पिता श्री ज़हीर ख्वाजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अजहरूद्धीन ख्वाजा
पिता श्री जहीरूद्दीन ख्वाजा
निवासी-एम. आई. जी. 01 दीनदयाल नगर,
चिखली राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

अज़हर ख्वाजा
पिता श्री ज़हीर ख्वाजा
निवासी-एम. आई. जी. 01 दीनदयाल नगर,
चिखली राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुशीला, उम्र 55 वर्ष, धर्मपत्नी श्री बालक दास, निवासी- क्वा. नं. 1-सी, सड़क-10, सेक्टर-4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, परिचय पत्र में मेरा नाम श्रीमती सुशीला दर्ज है जो कि मेरा सही नाम है. मेरे पति श्री बालक दास भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. उनका पर्सनल नंबर 893193 है. मेरे पति के बी. एस. पी. सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम सुशीला बाई दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरा वास्तविक व सही नाम श्रीमती सुशीला पति श्री बालक दास है. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सुशीला पति श्री बालक दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

श्रीमती सुशीला बाई
पति श्री बालक दास
निवासी-क्वा. नं. 1-सी, सड़क-10, सेक्टर-4, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सुशीला
पति श्री बालक दास
निवासी-क्वा. नं. 1-सी, सड़क-10, सेक्टर-4, भिलाई नगर,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कयाराम निर्मलकर आ. शंकर लाल, उम्र 78 वर्ष, जाति-धोबी, निवासी-म. नं. 207/1, इंदिरा नगर, राम मंदिर रोड, सुपेला भिलाई तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं कुछ शासकीय अभिलेखों में मेरा नाम कथा राम आ. शंकर दर्ज हो गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है. जो कि मेरे पेनकार्ड, भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय व अर्धशासकीय रिकार्डों में मेरा नाम कयाराम निर्मलकर आ. शंकर लाल दर्ज है जो सही है. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कयाराम निर्मलकर आ. शंकर लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कथाराम निर्मलकर
पिता-शंकर लाल
निवासी-म. नं. 207/1, इंदिरा नगर,
राम मंदिर रोड, सुपेला भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कयाराम निर्मलकर
पिता-शंकर लाल
निवासी-म. नं. 207/1, इंदिरा नगर,
राम मंदिर रोड, सुपेला भिलाई
तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, अभनपुर, जिला रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 09 जनवरी 2017

रा. प्र. क्र. 01 ब/113 (1)/वर्ष 2016-17
ग्राम -ग्राम उरला, तहसील अभनपुर

क्रमांक/28/वा-2/अ. वि. अ./2017.— एतद्द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि भगवान श्री शंकर पार्वती मंदिर ट्रस्ट ग्राम उरला, तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ. ग. को लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूचित में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन किया जाना है.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	भगवान श्री शंकर पार्वती मंदिर ट्रस्ट ग्राम उरला, तहसील अभनपुर जिला रायपुर छ. ग.
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	कृषि भूमि रकबा 2.473 हे.

अत: इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट (न्यास) अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट (न्यास) के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की 02 प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता एजेंट के माध्यम से दिनांक 09-02-2017 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों को किसी भी प्रकार विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 09-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुहर सहित जारी किया गया.

जोगेन्द्र नायक,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 21 दिसम्बर 2016

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2016/1527.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत रूही खाद बीज एवं कीटनाशक दवाईया सह क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. रूही, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग पंजीयन क्रमांक 2983 के तीन चौथायी सदस्यों द्वारा लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर मांग किया गया है कि संस्था पंजीयन दिनांक से कोई कार्य व्यापार नहीं कर रही है और न ही इनके सदस्य संस्था को चालू रखने में कोई रूचि लेते है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाए जाने का निर्णय संस्था की वार्षिक आमसभा की बैठक दिनांक 14-07-2016 के प्रस्ताव क्रमांक-2 पर लिया जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त करने का निवेदन किया गया है.

उपरोक्त बातों को द्रष्टिगत रखते हुए मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत रूही खाद बीज एवं कीटनाशक दवाईया सह क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. रूही, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग पंजीयन क्रमांक 2983 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री टी. आर. सहारे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 21-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग , दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2016/1569.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत एस. सोना को. ऑपरेटिव्ह केन्टीन एण्ड एन. एस. पी. सी. एल. मर्या. पुरैना पं. क्रमांक 2999 जिला दुर्ग को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 1444 दुर्ग दिनांक 28-11-2016 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत एस. सोना को. ऑपरेटिव्ह केन्टीन एण्ड एन. एस. पी. सी. एल. मर्या. पुरैना पं. क्रमांक 2999 जिला दुर्ग को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री अनिन्द्य मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग , दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्रमांक/उपं.दु./परिसमापन/2016/1570.—छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत माता बहादुर कलारिन बचत साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2993 को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 1446 दुर्ग दिनांक 28-11-2016 दिया गया था उसका जवाब देने के लिए 15 दिन का समयावधि दी गई थी. निर्धारित समयावधि में संस्था अध्यक्ष द्वारा जवाब/उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि संस्था अपने अस्तित्व को बनाये रखने हेतु प्रयत्नशील नहीं है. अत: उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ दुर्ग छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत माता बहादुर कलारिन बचत साख सहकारी समिति मर्या. दुर्ग पं. क्रमांक 2993 को तत्काल प्रभाव से परिसमापन में लाता हूँ तथा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्रीमती पूर्णिमा घाणेकर स. वि. अ. पाटन को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक .